समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैम्प, भोपाल

निगरानी– 6139/2018/राजगढ़/भू.रा. प्रकरण क्र. /2017–18

1. श्याम बाबू वर्मा आत्मज श्री दूलीचंद वर्मा,
   निवासी– खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.)
2. बद्रीप्रसाद आत्मज श्री फतेहचन्द कलाल
   निवासी– माथनी, तहसील बुधनी,
   जिला सीहोर (म.प्र.) .... आवेदकगण

विरुद्ध

अभिभावक श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा आज दिनांक 24/9/18 को पेश।

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा प.ह.नं. 57, खिलचीपुर
2. घीसालाल आत्मज श्री देवीलाल (मृतक)
   वारिस– धनीबाई पत्नी स्व. श्री घीसालाल चमार,
   निवासी– खिलचीपुर
3. मदन आत्मज श्री अमरा (मृतक)
   वारिस– राज वर्मा आत्मज श्री रूनाथ वर्मा,
   जाति वर्मा, निवासी– खिलचीपुर .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदकगण न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), म.प्र. द्वारा प्रकरण क्र. 45/निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं :–

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) द्वारा दिनांक 05.08.2015 को कलेक्टर महोदय, राजगढ़ को प्रेषित शिकायती आवेदन–पत्र के आधार पर प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई कि नगर खिलचीपुर में कस्बा खिलचीपुर सोमवारिया में स्थित भूमि सर्वे क. 1127/58 कुल रकबा 2.023 हेक्टेयर पूर्व में घीसालाल आत्मज श्री देवीलाल, जाति चमार, निवासी– खिलचीपुर को शासकीय पट्टे के रूप में दी गई थी जिसको वर्ष 2011 में अवैध रूप से बद्रीप्रसाद आत्मज श्री फतेहचंद, जाति कलाल, निवासी– ग्राम माथनी, तहसील बुधनी, जिला सींहोर द्वारा शासकीय भूमि की अवैध रूप से रजिस्ट्री करवा ली तथा इसी प्रकार सर्वे क्र. 1127/47 कुल रकबा 2.023 हेक्टेयर मदन आत्मज श्री अमरा चमार, निवासी– खिलचीपुर को पट्टे पर दी गई थी तथा उक्त भूमि की वर्ष 2011 में श्यामबाबू वर्मा आ. श्री दुलीचन्द्र वर्मा निवासी– खिलचीपुर ने अवैध रूप से क्रय कर ली। उक्त दोनों भूमि खिलचीपुर नगर के बाहर से निकलने वाले बायपास के सर्वे में शामिल हैं जिसका मुआवजा कुछ दिनों में मिलने वाला है तथा उक्त दोनों लोग अवैध रूप से मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार कथित शिकायती आवेदन–पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर

....2..

RN2018-205

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण कमांक : निगरानी / राजगढ़ / भू.रा. / 2018 / 6139

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ताक्ष
9-1-19	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अपर कलेक्टर, राजगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 45 / 15–16 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–8–18 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2 / आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य नही रही है। अपर कलेक्टर व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध पीढ़ित पक्षकार को आयुक्त / अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। तद्नुसार आवेदकगण इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र हैं। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न होने से समाप्त की जाती है। सदस्य	